

प्रतिभा कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन , बालसी सरायपाली

जिला - महासमुंद (छ. ग.) 493558

आचार संहिता

(Code of Conduct)

शिक्षकों के लिए आचार संहिता (CODE OF CONDUCT FOR STAFF) :-

1. स्टाफ इंस्टीट्यूशन के बीच समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए, कॉलेज प्रबंधन ने कुछ सख्त प्रावधान किए हैं, यदि कोई कर्मचारी देर से आता है, जैसे 3 दिनों के लिए देर से आना एक आकस्मिक अवकाश (सी.एल.) के रूप में गिना जाता है, या बिना वेतन के छुट्टी (मामले में) कोई सी.एल. नहीं बचा है। देर से आने की पूर्व सूचना प्राचार्य के विवेक पर विशेष मामला माना जाएगा।
2. शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान हैं: अभिविन्यास कार्यक्रम / सम्मेलन / कार्यशाला / संगोष्ठी / संगोष्ठी या समकक्ष कार्यक्रम (यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार):
3. किसी भी शिक्षण स्टाफ को महाविद्यालय में उसके सेवाकाल के दौरान केवल एक ओरिएंटेशन कोर्स के लिए कार्यमुक्त किया जाएगा।
4. टीचिंग स्टाफ को एक ही शैक्षणिक सत्र में या तो ओरिएंटेशन या रिक्रेशर कोर्स में शामिल होने की अनुमति होगी।
5. पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के किसी विशेष अभिमुखीकरण में प्रत्येक विभाग से केवल एक शिक्षक को ही उपस्थित होने की अनुमति होगी, ताकि महाविद्यालय में नियमित शिक्षण प्रभावित न हो।
6. राज्य/विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थित होने के लिए शिक्षण स्टाफ को विशेष अनुमति दी जाएगी; संसाधन व्यक्ति के रूप में या प्रतिभागियों के रूप में या संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए संगोष्ठी / कार्यशालाएं, या सम्मेलन। इस प्रकृति के किसी एक आयोजन के लिए एक विभाग से केवल एक शिक्षक को ही अनुमति दी जाएगी। इस क्लॉज का लाभ उठाने के लिए टीचिंग स्टाफ को कार्यक्रमों से कम से कम एक सप्ताह पहले आवश्यक दस्तावेजों (आमंत्रण पत्र) के साथ पूर्व सूचना देनी होगी। इस मामले में अंतिम निर्णय प्राचार्य द्वारा लिया जाएगा।
7. उपरोक्त शैक्षणिक कार्यक्रमों में से किसी में भाग लेने के बाद, प्रतिभागी को कार्यक्रम के आयोजकों से प्राप्त प्रमाण पत्र की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी।

ड्यूटी से अवकाश :-

1. प्रैक्टिकल परीक्षा में बाहरी परीक्षक जैसे शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए झूठी से छुट्टी की स्वीकृति, अतिथि व्याख्यान देना, विश्वविद्यालय द्वारा सौंपी गई झूठी, और सम्मेलन/सेमिनार, और कार्यशालाओं में भाग लेना, प्रधानाचार्य का एकमात्र विवेक होगा ।

2. किसी भी शिक्षण कर्मचारी को संस्था से झूठी अवकाश की स्वीकृति के बाद ही सौंपे गए कार्य में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। कॉलेज द्वारा D.L. (झूठी लीव) की स्वीकृति के बिना, उसे अनुपस्थित माना जाएगा और LWP (बिना वेतन के अवकाश) के अधीन होगा । विशेष मामलों में, झूठी छुट्टी की स्वीकृति पूरी तरह से प्राचार्य के विवेक पर होगी ।

छात्रों के लिए आचार संहिता (CODE OF CONDUCT FOR STUDENT):-

1. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय की व्यवस्था के अनुसार अपने अध्ययन में लगाएं साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में पूरा सहयोग दें ।

2. प्रत्येक छात्र को हमारी संस्कृति और परंपरा के अनुरूप स्वच्छ, साफ और औपचारिक पोशाक पहननी होगी ।

3. कॉलेज की सम्पत्ति, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, आदि की सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं स्वच्छता में प्रत्येक विद्यार्थी रुचि लेगा और सुधारने में सहयोग देगा । इसके विपरीत किसी भी प्रवृत्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो भाग लेगा और न दूसरे को उकसायेगा ।

4. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में वह पूरी तरह सहयोग देगा एवं भाग लेगा, बिना प्राचार्य की अनुमति के कक्षा अथवा परीक्षा में अनुपस्थित नहीं रहेगा ।

5. प्रत्येक विद्यार्थी अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ नम्रता का व्यवहार करेंगे और कभी अशिष्ट व अशोभनीय व्यवहार नहीं करेंगे ।

6. विद्यार्थी को यदि कोई कठिनाई हो तो गुरुजन अथवा प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया से शांतिपूर्वक तरीके से अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

7. रैगिंग किसी भी रूप में एक गंभीर अपराध है और इससे सख्ती से निपटा जाएगा ।

8. आंदोलन, हिंसा अथवा आतंक द्वारा किसी भी कठिनाई को हल करने का रास्ता विद्यार्थी नहीं अपनाएंगें ।

9. परीक्षाओं में या उसके संबंध में किसी भी प्रकार से अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचार माना जायेगा ।

10. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति बढे और उसमें किसी प्रकार का कलंक न लगे, ऐसा व्यवहार विद्यार्थी के द्वारा अनुशासन और संयम में रहकर करना होगा ।

11. आचरण के इन साधारण नियमों के भंग होने पर विद्यार्थियों को चाहिए की दोषी व्यक्ति को उचित दण्ड देने में सहयोग करें, जिससे महाविद्यालय का प्राथमिक कार्य अध्ययन, शांति व मनोयोग के साथ चल सके ।

12. विद्यार्थी को सावधानी रखनी होगी कि किसी अनैतिकता-मूलक या अन्य गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे, यदि ऐसा होता है तो उसका नाम तत्काल महाविद्यालय के रजिस्टर से हटा दिया जायेगा ।

13. कॉलेज दोनों लिंगों के छात्रों से कैंपस और कैंपस दोनों में एक स्वस्थ और सभ्य रिश्ते को बढ़ावा देने की अपेक्षा करता है। सह-शिक्षा की भावना ऐसे रिश्ते को सुगम बनाने में निहित है। इस भावना के विपरीत कोई भी व्यवहार अवैध और दंडनीय माना जाता है ।

14. छात्रों को किसी भी असामाजिक गतिविधियों से दूर रहना होगा ।

15. कक्षा के समय के दौरान कोई छात्र संबंधित शिक्षक की अनुमति के बिना कक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकता है।

16. प्राचार्य की अनुमति के बिना, छात्रों को किसी भी मुद्रित सामग्री को प्रसारित करने की अनुमति नहीं है । विद्यार्थी अपने सामान का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा ।

प्रतिभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन